

पपत्र-8

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सीक
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प बकस

-आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी बकस व भूअभि बकस
की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सीक तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान
भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसार ग्राम 2004 तहसील सीक व जिला राजसमंद
की जमाबन्दी संख्या 2077 में खाता संख्या 265 में वर्तमान में दर्ज
प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं -

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	दिलग	265	वीरग पुत्र भीम	निम्बसिंह पुत्र भीमसिंह

fha
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी सीक
राजस्थान सरकार
जिला-राजसमंद
पदेन सहायक कलक्टर

दिनांक :- 16/10/2025

क्रमांक :- 125/364

- प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार सीक को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
 2. प्रार्थी श्री निम्बसिंह पुत्र भीमसिंह को सूचनाथं।
 3. रक्षित पत्रावली।

fha
सहायक कलक्टर
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
जिला-राजसमंद